राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,राजस्थान, जयपुर
फोन न. 0141–2923541, Email ID: uhcrajasthan@gmail.com

F.42(40)/NHM/AAM/Health Mela/2023-24/486 दिनांकः– 25/1/24

आदेश

भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आयुष्मान भवः कार्यक्रम एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के 100 दिवसीय कार्ययोजना के तहत् आयुष्मान आरोग्य मंदिर (SHC,PHC,UPHC) से रेफर होकर आने वाले मरीजों के लिए प्रत्येक बुधवार को सीएचसी पर कैम्प आयोजित करवाये जावें। इन कैम्प में गैर संचारी रोगो (डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैसर आदि) एवं टीबी आदि की जॉच एवं उपचार किया जावे तथा आवश्यकतानुसार निर्धारित जॉच एवं दवायें निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे।

आयुष्मान भवः कार्यक्रम के तहत् सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) पर साप्ताहिक रूप से प्रति बुधवार को थीम आधारित आयुष्मान हैल्थ मेलों का आयोजन दिनांक 31 मार्च, 2024 तक किया जाना है।

अतः सीएचसी पर आयोजित आयुष्मान हैल्थ मेलों के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं निम्न जॉंच सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना है –

विशेषज्ञ चिकित्सक	जॉंच सेवाएं
1. जनरल फिजीशियन 2. स्त्रीरोग विशेषज्ञ 3. नेत्र रोग विशेषज्ञ 4. नाक कान गला रोग विशेषज्ञ 5. हड्डी रोग विशेषज्ञ 6. सर्जन 7. शिशु रोग विशेषज्ञ	• CBC (Complete Blood count) • LFT (Liver Function Test) • RFT (Renal Function Test) • Liquid Profile • Eye Checking Equipments (With Technician) • ECG • Audio-metry with technician (according to availability) • Portable X-ray machines (according to availability) • Portable sonography (according to availability)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का दायित्वं –

- ➢ सीएचसी पर आयोजित हैल्थ मेलो में जिला अस्पताल ,उप जिला अस्पताल एवं अन्य संस्थानों पर उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- ➢ मानव संसाधनों की अनुपलब्धता की स्थिति में मेंडीकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से समन्वय स्थापित कर विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता करवाये।
- ➢ सीएचसी स्तर पर आयोजित हैल्थ मेलों में आरबीएसके टीम के द्वारा स्कीन पश्चात् रेफर किये गये बच्चों का यथासंभव उपचार करवाना एवं आवश्यकता अनुसार उच्च संस्थानों पर रेफर कर उपचार करवाना सुनिश्चित करे।
- ➢ हैल्थ मेलों में ब्रेस्ट कैंसर,सरवाईकल कैसर, ओरल कैसर के मरीजो यथासंभव उपचार किया जावे व रेफर किया जावे एवं रिकार्ड संधारण करें।

मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य का दायित्वं –

- ➢ आयोजित मेलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चाहे जाने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाऐं।
- ➢ सीएचसी स्तर से अतिगम्भीर रोगियों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय पर रैफर किये जाने की स्थिति में उनके उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए निःशुल्क दवा भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवाऐं।

25/1/2024 25/01/24

(शिव प्रसाद नकाते)
आयुक्त,चिकित्सा शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

HWC1061

F.42(40)/NHM/AAM/Health Mela/2023-24/ 486 दिनांकः– 25|1|24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
3. निजी सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम राजस्थान।
5. निजी सहायक, समस्त संभागीय आयुक्त को आवश्यक सूचनार्थ।
6. निजी सहायक, समस्त जिला कलेक्टर को आवश्यक सूचनार्थ।
7. निजी सहायक, निदेशक–जन स्वास्थ्य ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 सरकार।
8. निजी सहायक, निदेशक, आरसीएच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 सरकार।
9. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक समस्त मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
10. निजी सहायक, समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय।
11. निजी सहायक,निदेशक वित्त,एनएचएम।
12. अतिरिक्त निदेशक, (अकादमी), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति समस्त प्राधानाचार्य एवं अधिक्षक, को ई–मेल करवाऐं।
13. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
16. प्रभारी, सर्वर कक्ष को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 महेश सचदेवा)
परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

HWC1062